

कार्यालय अंचल अधिकारी, बगोदर, गिरिडीह।

विविध वाद सं० 16/2020

रामविलास तुरी वगैरह बनाम् महेश महतो वगैरह।

आदेश फलक

अभिलेख उपस्थापित।

आवेदक रामविलास तुरी पिता जानकी तुरी वगैरह ग्राम बिहारो पो० अटका थाना बगोदर जिला गिरिडीह के द्वारा आवेदन देकर अनुरोध किया गया कि मौजा बिहारो खाता नं० 518 प्लॉट नं० 1269 गैरमजरुआ भूमि को द्वितीय पक्ष महेश महतो पिता स्व० बुटन महतो, शैलेन्द्र प्रसाद, विजेन्द्र प्रसाद, दिनेश प्रसाद पिता महेश महतो एवं सरयु महतो, जागेश्वर महतो पिता स्व० भिखारी महतो के द्वारा सभी साकिन बिहारो थाना बगोदर जिला गिरिडीह के द्वारा बाजबरण कब्जा कर तार का जाली से घेराबंदी कर अतिक्रमण किया गया है। जिससे उक्त भूमि से सटे सर्वे खतियानी भूमि के रैयतों प्रथम पक्षों को आवगमन हेतु परेशानियों का सामना करना पडता है।

उक्त के आलोक में संबंधित राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के द्वारा जाँच करायी गई। उनके द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा बिहारो थाना नं० 06 खाता नं० 518 प्लॉट नं० 1269 रकवा 0.32 एकड भूमि सर्वे खतियान के अनुसार गैरमजरुआ खास किस्म जमीन पुरानी परती कदीम दर्ज है। भूमि सरकारी है। द्वितीय पक्षों के द्वारा अवैध तरीके से उक्त भूमि को बाजबरण कब्जा कर अतिक्रमण किये हुए है। जिसे अतिक्रमण मुक्त करने हेतु आवश्यक कार्यवाई की जा सकती है।

उक्त के सदंर्भ में उभय पक्षो को नोटिस निर्गत की गई। दोनो पक्षो के द्वारा उपस्थित होकर कारण पृच्छा समर्पित किया गया हे। जिसमें उनका कथन लिखित बहस में अंकित है। अभिलेख का अवलोकन किया। संबंधित राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदनानुसार उक्त भूमि सरकारी प्रतीत होता है। जिस पर द्वितीय पक्षों के द्वारा भूमि कब्जा किया गया है। जो अतिक्रमण उचित प्रतीत नही होता। ऐसी स्थिति में द्वितीय पक्षो को निदेश है कि उक्त भूमि से अतिक्रमण हटा लें एवं अंचल अमीन तथा हल्का कर्मचारी उक्त सरकारी भूमि को सीमाकंन कर साइन बोर्ड स्थापित करें।

वाद की कार्यवाई समाप्त की जाती है।

अंचल अधिकारी,
बगोदर।

09.11.2020